



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032026-270894
CG-DL-E-12032026-270894

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 12, 2026/फाल्गुन 21, 1947

No. 172]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 12, 2026/PHALGUNA 21, 1947

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026

सा.का.नि. 178(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय में समूह 'ख' अवैज्ञानिक और तकनीकी पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, अवैज्ञानिक और तकनीकी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगें।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर. – पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि. – उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे सम्बंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निर्हता. - वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति. – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. प्रशासनिक अधिकारी।	07*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-9 (53100-167800/-रु)।	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<p>सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।</p>	<p>परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।</p>	<p>भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।</p>	<p>प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।</p>
<p>लागू नहीं होता।</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>	<p>प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन (सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए) द्वारा।</p>	<p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-1,42,400/-रू) मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय में ऐसे अनुभाग अधिकारी जिन्होंने तीन वर्ष की नियमित सेवा की है और समय-समय पर यथा विनिश्चित सुसंगत विषयक्षेत्र या क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है या वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-1,42,400/-रू) में मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय में ऐसे निजी सचिव जिन्होंने पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और समय-समय पर यथा विनिश्चित सुसंगत विषयक्षेत्र या क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है: परन्तु ऐसे निजी सचिव जिन्होंने दो वर्ष के अवधि के लिये प्रशासन अनुभाग में कार्य किया हो और अनुभाग</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है: (1) वैज्ञानिक 'एफ', मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -अध्यक्ष; (2) संयुक्त निदेशक या समतुल्य स्तर अधिकारी, मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -सदस्य; (3) मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव या उपनिदेशक या समतुल्य स्तर अधिकारी -सदस्य। समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है: (1) वैज्ञानिक 'एफ', मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रानिकी और सूचना</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

			<p>अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन किया हो (प्रयोगशाला/केंद्र के निदेशक द्वारा प्रमाणित)</p> <p>टिप्पण 1: प्रोन्नति के लिए अनुभाग अधिकारी और पात्र निजी सचिवों की संयुक्त ज्येष्ठता सूची तैयार की जाएगी जिन्होंने प्रशासन में कार्य का दो वर्ष का अनुभव प्राप्त किया है (और सम्बंधित प्रयोगशाला निदेशक द्वारा प्रमाणित) और ज्येष्ठता उनकी सम्बंधित श्रेणियों में नियमित सेवा में उनके पदग्रहण की तारीख से अवधारित की जाएगी।</p> <p>टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्बंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों/</p>	<p>प्रौद्योगिकी मंत्रालय</p> <p>-अध्यक्ष;</p> <p>(2) संयुक्त निदेशक या समतुल्य स्तर अधिकारी, मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय</p> <p>-सदस्य;</p> <p>3. मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव या उपनिदेशक या समतुल्य स्तर अधिकारी</p> <p>-सदस्य।</p>	
--	--	--	--	---	--

		<p>पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/स्वाशासी संगठनों के अधिकारी-</p> <p>(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47600-151100/-रू) में उन पदों में दो वर्ष नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44900-142400/- रू) में उस पद में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(iv) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400/- रू) में उस पद पर आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री।</p> <p>टिप्पण 1: ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले</p>		
--	--	--	--	--

			<p>धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/</p> <p>पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के सम्बंध में भी प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किये जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्ति व्यक्ति के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं। यदि ऐसे अधिकारियों का चयन हो जाता है, तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात, उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. अनुभाग अधिकारी।	04* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 ₹)।	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	<p>(i) प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; और</p> <p>(ii) सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन।</p>	<p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400/-रु) में ऐसे सहायक अनुभाग अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और समय-समय पर यथा विनिश्चित सुसंगत विषयक्षेत्र या क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्बंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा, के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्रों/ पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों/स्वशासी संगठनों के अधिकारी-</p> <p>(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-</p> <p>(1) वैज्ञानिक 'एफ', मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय</p> <p>- अध्यक्ष;</p> <p>(2) संयुक्त निदेशक या समतुल्य स्तर के अधिकारी मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय</p> <p>- सदस्य;</p> <p>(3) मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव या उपनिदेशक या समतुल्य स्तर के अधिकारी</p> <p>- सदस्य।</p> <p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित सम्मिलित है:</p> <p>(1) वैज्ञानिक 'एफ', मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय</p> <p>- अध्यक्ष;</p> <p>(2) संयुक्त निदेशक समतुल्य स्तर के अधिकारी, मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय</p> <p>- सदस्य;</p>	लागू नहीं होता।

		<p>धारण किये है; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400/- ₹) में उन पदों पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1: ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रातिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>सशस्त्र बल कार्मिकों के लिये प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के सम्बंध में भी प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में</p>	<p>(3) मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव या उप निदेशक या समतुल्य अधिकारी</p> <p>-सदस्या</p>	
--	--	---	--	--

			स्थानांतरित किये जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्त व्यक्ति के लिए विहित अहर्ताएं और अनुभव हैं। यदि ऐसे अधिकारियों का चयन हो जाता है, तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात्, उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. निजी सचिवा।	10*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (44900-1,42,400/-रु)।	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन द्वारा (सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए)।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400/-रु) में मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय के अधीन प्रयोगशालाओं या केंद्रों में ऐसे निजी सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और समय-समय पर यथा विनिश्चित सुसंगत विषयक्षेत्र या क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:- (1) वैज्ञानिक 'एफ', मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -अध्यक्ष; (2) संयुक्त निदेशक या समतुल्य स्तर के अधिकारी, मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -सदस्य;		लागू नहीं होता।

		<p>है, प्रोन्नति के लिये विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्रों/पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों/स्वशासी संगठनों के अधिकारी-</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400/-रु) में या समतुल्य उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1: ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रातिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के</p>	<p>(3) मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव या उपनिदेशक या समतुल्य स्तर के अधिकारी</p> <p>-सदस्य।</p> <p>समूह ख 'विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित सम्मिलित है: -</p> <p>(1) वैज्ञानिक 'एफ', मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -अध्यक्ष;</p> <p>(2) संयुक्त निदेशक या समतुल्य स्तर के अधिकारी, मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -सदस्य;</p> <p>(3) मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव या उप निदेशक या समतुल्य स्तर के अधिकारी -सदस्य।</p>	
--	--	---	---	--

			<p>लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>सशस्त्र बल कार्मिकों के लिये प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के सम्बंध में भी प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्त व्यक्ति के लिए विहित अहर्ताएं और अनुभव हैं। यदि ऐसे अधिकारियों का चयन हो जाता है, तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात्, उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. सहायक अनुभाग अधिकारी।	57* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/-रु)।	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	(i) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; (ii) पचास प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा; और (iii) उपरोक्त (i) और (ii) के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन (सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए) द्वारा।	प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100/-रु) में मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय के अधीन प्रयोगशालाओं और केन्द्रों में ऐसे वरिष्ठ सचिवीय सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो, और समय-समय यथाविनिश्चित सुसंगत विषयक्षेत्र या क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिये विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्बंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:- (1) वैज्ञानिक 'एफ', मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -अध्यक्ष; (2) संयुक्त निदेशक या समतुल्य स्तर अधिकारी मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य; (3) मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव या उप निदेशक या समतुल्य स्तर अधिकारी -सदस्या समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित सम्मिलित है: (1) वैज्ञानिक 'एफ', मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष; (2) संयुक्त निदेशक या		लागू नहीं होता।

		<p>पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100/- रुपये) मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय में ऐसे वरिष्ठ सचिवालय सहायक, जिन्होंने निर्णायक तारीख तक उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा हो, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, सहायक अनुभाग अधिकारी, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा नियम, 2026 के उपबंधों के अनुसार आयोजित होने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने के पात्र होंगे। पात्र अधिकारियों को समय-समय पर यथाविनिश्चित सुसंगत विषयक्षेत्र या क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया होना चाहिए।</p> <p>प्रतिनियुक्ति :</p> <p>केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्रों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वाशासी संगठनों के अधिकारी</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं; या</p>	<p>समतुल्य स्तर अधिकारी, मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -सदस्य;</p> <p>(3) मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव या उपनिदेशक या समतुल्य स्तर अधिकारी</p> <p>- सदस्य।</p>	
--	--	--	---	--

		<p>(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100/- रू) में ऐसे वरिष्ठ सचिवीय सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1: ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रातिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>सशस्त्र बल कार्मिकों के लिये प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के सम्बंध में भी प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर</p>		
--	--	---	--	--

			सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किये जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्त व्यक्ति के लिए विहित अहर्ताएं और अनुभव हैं। यदि ऐसे अधिकारियों का चयन हो जाता है, तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात, उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. निजी सहायक।	16*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400- 112400/-रु)।	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन द्वारा (सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए)।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100/- रु) में ऐसे आशुलिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और समय-समय पर यथाविनिश्चित सुसंगत विषयक्षेत्र या क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिये विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:- (1) वैज्ञानिक 'एफ', मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -अध्यक्ष; (2) संयुक्त निदेशक या समतुल्य स्तर अधिकारी मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -सदस्य; (3) मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय से		लागू नहीं होता।

		<p>के सम्बन्ध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति :केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्रों/पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों/स्वशासी संगठनों के अधिकारी-</p> <p>(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25,500-81,100/-रु) या समतुल्य में ऐसे आशुलिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से</p>	<p>भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव या उप निदेशक या समतुल्य स्तर अधिकारी</p> <p>-सदस्या।</p> <p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित सम्मिलित है :</p> <p>(1) वैज्ञानिक 'एफ़', मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष;</p> <p>(2) संयुक्त निदेशक या समतुल्य स्तर अधिकारी, मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -सदस्य;</p> <p>(3) मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव या उप निदेशक या समतुल्य स्तर अधिकारी - सदस्य।</p>	
--	--	---	--	--

			<p>अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/</p> <p>पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के सम्बंध में भी प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किये जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्त व्यक्ति के लिए विहित अहर्ताएं और अनुभव हैं। यदि ऐसे अधिकारियों का चयन हो जाता है, तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक।	06*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित-अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400- 112400/-रु)।	लागू नहीं होता।	18 से 30 वर्ष की आयु के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो ; या

					<p>वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।</p>	<p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो ;या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो ; या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर</p>
--	--	--	--	--	--	---

					<p>डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी और हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहे हों या इन दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम के रूप में रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक के रूप में रहा हो; और हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागों के कार्यालयों में, जिनके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं, हिंदी से अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव हो।</p> <p>टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित</p>
--	--	--	--	--	---

						जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।
--	--	--	--	--	--	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पणः केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	सीधी भर्ती। टिप्पण 1: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी - (क) जो मूल	लागू नहीं होता।	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:- (1) वैज्ञानिक 'एफ', मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -अध्यक्ष; (2) संयुक्त निदेशक या समतुल्य स्तर अधिकारी मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य; (3) मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव या उपनिदेशक या समतुल्य स्तर अधिकारी - सदस्य।	लागू नहीं होता।

		काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अहर्ताएं और अनुभव है।			
--	--	---	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. पुस्तकालय और सूचना सहायक।	02* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/-रु)।	लागू नहीं होता।	18 से 30 वर्ष की आयु के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री ; (ii) किसी केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के अधीन पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव। वांछनीय: मान्यता प्राप्त

						<p>विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा।</p> <p>टिप्पण 1:</p> <p>अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2:</p> <p>अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>
--	--	--	--	--	--	---

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	दो वर्ष।	सीधी भर्ती।	लागू नहीं होता।	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में)	लागू नहीं होता।

<p>होता।</p>	<p>टिप्पणः केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिचीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।</p>	<p>टिप्पणः पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी, -</p> <p>(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अहर्ताएं और अनुभव है।</p>		<p>विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-</p> <p>(1) वैज्ञानिक 'एफ', मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -अध्यक्ष;</p> <p>(2) संयुक्त निदेशक या समतुल्य स्तर अधिकारी मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य;</p> <p>(3) मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव या उपनिदेशक या समतुल्य स्तर अधिकारी - सदस्य।</p>	
--------------	--	---	--	---	--

[फा. सं. 02(07)/2025-पीए(टीए)]

एम. वेल्डईपांडी, महानिदेशक

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Standardisation, Testing And Quality Certification Directorate)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2026

G.S.R. 178(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' Non-Scientific and Technical posts in the Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Electronics and Information Technology, Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Non-Scientific and Technical (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2025

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix. – The number of the posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc. – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Administrative Officer.	07* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level-9 in the pay matrix (Rs. 53,100-1,67,800).	Selection.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion, failing which by deputation or deputation/re-employment (for Armed forces Personnel).

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Section Officer in level-7 in the pay matrix (Rs.44,900-1,42,400) in Laboratories or Centres under Standardisation Testing and Quality Certification Directorate with three years regular of service and have successfully completed two weeks training in relevant field or area as decided from time to time or Private Secretary in level-7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix in Standardisation, Testing and Quality Certification Laboratories or Centres with five years of regular service and have successfully completed two weeks training in relevant field or area as decided from time to time: Provided that Private Secretaries who have worked in the Administration Section for a period of two years and discharged the duties of Section Officer (to be certified by the Lab or Centre Director).</p> <p>Note 1: For promotion, a combined seniority list of Section Officers and eligible Private Secretaries who have worked in the Administration for a period of two years (and certified by the concerned lab Director) shall be prepared and the seniority shall be determined from the date of their joining the regular service in their respective grades.</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - (1) Scientist 'F', Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology -Chairman; (2) The Joint Director or equivalent level officer of Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology. -Member; (3) The Under Secretary or Deputy Director or equivalent level Officer, from a Ministry or a Department other than Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate. -Member.</p> <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - (1) Scientist 'F', Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology -Chairman; (2) The Joint Director or equivalent level Officer, Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology -Member; (3) The Under Secretary or Deputy Director or equivalent level Officer, from a Ministry or a Department other than Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate. -Member.</p>	Not applicable.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation:

Officer of the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertakings or Autonomous organisations, -

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(ii) with two years regular service in the posts in the level 8 in the pay matrix (Rs.47600-151100); or

(iii) with three years regular service in the post in level 7 in the pay matrix (Rs. 44900 – 142400); or

(iv) with eight years regular service in the post in level 6 in the pay matrix (Rs 35400-112400); and

(b) Possessing Bachelor's degree from a recognised University.

Note 1: The Departmental Officers who are in the direct line of promotion shall not be eligible for for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or other

<p>organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>For Armed Forces Personnel: Deputation or re-employment</p> <p>The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the qualifications and experience prescribed for deputationists, shall also be considered for deputation. If selected, such officers shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter, they may be continued on re-employment terms.</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Section Officer.	04* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(i) by promotion failing which by deputation; and (ii) For Armed Forces Personnel: Deputation / re-employment

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Assistant Section Officer in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with five years of regular service in the grade and have successfully completed two weeks training in relevant field or area as decided from time to time. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: -</p> <p>(1) Scientist 'F', Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology -Chairman;</p> <p>(2) The Joint Director or equivalent level officer of Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology. -Member;</p> <p>(3) The Under Secretary or Deputy Director or equivalent level Officer, from a Ministry or a Department other than Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate. -Member.</p>	Not applicable.

<p>service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertakings or Autonomous organisations,-</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis; or</p> <p>(ii) with five years of regular service in the posts in level 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400).</p> <p>Note 1: The Departmental Officers who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The Period of deputation including period of deputation in another ex- cadre post immediately preceding this appointment in the same or other organisation /department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>For Armed Forces Personnel: Deputation or re-employment</p> <p>The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the qualifications and experience prescribed for deputationists, shall also be considered for deputation. If selected, such officers shall be given deputation</p>	<p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: -</p> <p>(1) Scientist 'F', Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology -Chairman;</p> <p>(2) The Joint Director or equivalent level Officer, Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology -Member;</p> <p>(3) The Under Secretary or Deputy Director or equivalent level Officer, from a Ministry or a Department other than Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate. -Member.</p>	
--	---	--

terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter, they may be continued on re-employment terms.		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Private Secretary.	10* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion, failing which by deputation or deputation/re-employment (For Armed Forces Personnel).

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Personal Assistant in Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) in Laboratories or Centres under Standardisation Testing and Quality Certification Directorate with five years regular service in the grade and have successfully completed two weeks training in relevant field or area as decided from time to time.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Government or State Government</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: -</p> <p>(1) Scientist 'F', Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology -Chairman;</p> <p>(2) The Joint Director or equivalent level officer of Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology. -Member;</p> <p>(3) The Under Secretary or Deputy Director or equivalent level Officer, from a Ministry or a Department other than Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate. -Member.</p> <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: -</p> <p>(1) Scientist 'F', Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology -Chairman;</p> <p>(2) The Joint Director or equivalent level Officer, Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology -Member;</p> <p>(3) The Under Secretary or Deputy Director or equivalent level Officer, from a Ministry or a</p>	Not applicable.

<p>or Union territories or Public Sector Undertakings or Autonomous organisations, -</p> <p>(i) Holding analogous post on regular basis; or</p> <p>(ii) Personal Assistant in level 6 in Pay Matrix (Rs. 35400-112400) with five years of regular service in the grade or equivalent in the parent cadre or department.</p> <p>Note 1: The Departmental Officers who are in the direct line of promotion shall not be eligible for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>For Armed Forces Personnel: Deputation or re-employment</p> <p>The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the qualifications and experience prescribed for deputationists, shall also be considered for deputation. If selected, such officers shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter, they may be continued on re-employment terms.</p>	<p>Department other than Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate. -Member.</p>	
---	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Assistant Section Officer.	57* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35,400-1,12,400).	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.	(i) Fifty per cent. by promotion; (ii) Fifty per cent. by Limited Departmental Competitive Examination; and (iii) Failing (i) and (ii) above which by deputation or deputation/re-employment (For Armed Forces Personnel).

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Senior Secretariat Assistant in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) in Laboratories or Centres under Standardisation Testing and Quality Certification Directorate with ten years regular service in the grade and have successfully completed two weeks training in relevant field or area as decided from time to time.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Limited Departmental Competitive Examination: Senior Secretariat Assistant in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) in the Standardisation Testing and Quality Certification Directorate with five years regular service in the grade on the crucial date shall be eligible to appear in the Limited Departmental Competitive</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: -</p> <p>(1) Scientist 'F', Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology -Chairman;</p> <p>(2) The Joint Director or equivalent level officer of Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology. -Member;</p> <p>(3) The Under Secretary or Deputy Director or equivalent level Officer, from a Ministry or a Department other than Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate. -Member.</p> <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: -</p> <p>(1) Scientist 'F', Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology -Chairman;</p> <p>(2) The Joint Director or equivalent level Officer, Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology -Member;</p> <p>(3) The Under Secretary or Deputy Director or equivalent level Officer, from a Ministry or a Department other than Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate. -Member.</p>	Not applicable.

Examination to be conducted in accordance with the provisions of the Ministry of Electronics and Information Technology, Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Assistant Section Officer, Limited Departmental Competitive Examination Rules, 2025. The eligible officers should have successfully completed two weeks training in relevant field or area as decided from time to time.

Deputation:

Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertakings or Autonomous organisations, –

(i) holding analogous post on regular basis; or

(ii) Senior Secretarial Assistant in level 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) with ten years of regular service in the grade.

Note 1: The Departmental Officers who are in the direct line of promotion shall not be eligible for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3: The maximum age limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

**For Armed Forces Personnel:
Deputation or re-employment**

The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a

period of one year and having the qualifications and experience prescribed for deputationists, shall also be considered for deputation. If selected, such officers shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter, they may be continued on re-employment terms.		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Personal Assistant.	16* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-1,12,400/-).	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.	Promotion, failing which by deputation or deputation/ re-employment (For Armed Forces Personnel).

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion:</p> <p>Stenographer in the level 4 in the pay matrix Rs. 25,500- 81,100/- with ten years of regular service in the grade and have successfully completed two weeks training in relevant field or area as decided from time to time.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: -</p> <p>(1) Scientist 'F', Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology -Chairman;</p> <p>(2) The Joint Director or equivalent level officer of Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology. -Member;</p> <p>(3) The Under Secretary or Deputy Director or equivalent level Officer, from a Ministry or a Department other than Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate. -Member.</p> <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: -</p> <p>(1) Scientist 'F', Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology -Chairman;</p>	Not applicable.

<p>Deputation:</p> <p>Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertakings or Autonomous organisations, -</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) Stenographer or equivalent in level-4 in the pay matrix (Rs. 25,500- 81,100) with ten years of regular service in the grade or equivalent in the parent cadre or Department.</p> <p>Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex- cadre post immediately preceding this appointment is the same or other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>For Armed Forces Personnel: Deputation or re-employment</p> <p>The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the qualifications and experience prescribed for deputationists, shall also be considered for deputation. If selected, such officers shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter, they may be continued on re-employment terms.</p>	<p>(2) The Joint Director or equivalent level Officer, Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology -Member;</p> <p>(3) The Under Secretary or Deputy Director or equivalent level Officer, from a Ministry or a Department other than Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate. -Member.</p>	
---	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. Junior Hindi Translator.	06* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35,400-1,12,400/-).	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Between 18 and 30 years of age.</p> <p>(Relaxable for the Government Servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.</p>	<p>Master's degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p>or</p> <p>Master's degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p>or</p> <p>Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi Medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level;</p> <p>or</p> <p>Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level;</p> <p>Or</p> <p>Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and</p>	<p>Not applicable.</p>	<p>Two years.</p> <p>Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.</p>	<p>Direct Recruitment.</p> <p>Note 1: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or Autonomous Organisations,-</p> <p>(a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p>

	<p>the other as a compulsory or elective subject at degree level;</p> <p>and</p> <p>Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and <i>vice versa</i> from a recognized university or two years' experience of translation work from Hindi to English and <i>vice versa</i> in Central or State Government office, including Government of India Undertaking.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>			
--	--	--	--	--

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	<p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <p>(1) Scientist 'F', Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology -Chairman;</p> <p>(2) The Joint Director or equivalent level Officer, Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology -Member;</p> <p>(3) The Under Secretary or Deputy Director or equivalent level Officer from a Ministry or a Department other than Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate - Member.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7. Library and Information Assistant.	02* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Between 18 and 30 years of age.</p> <p>(Relaxable for the Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.</p>	<p>Essential:</p> <p>(i) Bachelors Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or Institute;</p> <p>(ii) two years' professional experience in a Library under Central or State Government or Autonomous or Statutory organisation/ Public Sector Undertaking or University or recognised research or educational institution.</p> <p>Desirable:</p> <p>Diploma in Computer Application from a recognised University</p>	Not applicable.	Two years.	<p>Direct Recruitment.</p> <p>Note 1: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or Autonomous Organisations,-</p> <p>(a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p>

	<p>or Institute.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified or reasons to be recorded.</p> <p>Note 2: The qualifications(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>			
--	--	--	--	--

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	<p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: -</p> <p>(1) Scientist 'F', Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology -Chairman;</p> <p>(2) The Joint Director or equivalent level Officer, Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology -Member;</p> <p>(3) The Under Secretary or Deputy Director or equivalent level Officer, from a Ministry or a Department other than Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, -Member.</p>	Not applicable.

[F. No. 02(07)/2025-PA(TA)]

M. VELLAIPANDI, Director General.